Authoritative English Text of this Department Notification No. UD-A(3)-2/2020 Urban Development Department dated------------------ as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

Government of Himachal Pradesh
Department of Urban Development

UD- A(3)-2/2020 Shimla-2 the 12th October, 2020

NOTIFICATION

Whereas, the draft Notification of even number dated 18th September, 2020 carrying out amendments in Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 19th September, 2020 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the general public, as required under the provisions of Section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);

And whereas, no objection(s) or suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 279 and 304 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with State Election Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015 notified vide Notification No. UD-A(3)-7/2011-I dated 02.09.2015 and published in the Rajpatra on 2nd September, 2015, namely:-

Short title and commencement	1	(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Election (Amendment) Rules, 2020. (2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra/ e-Gazette, Himachal Pradesh
Amendment of rule 6	2	In rule 6 of Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 (herein after referred to as the said "rules") in sub rule (2), the words "ten days" shall be substituted with the words "seven days"
Amendment of rule 7	3	In rule 7 of the said rule, the words "ten days" shall be substituted with the words "seven days"
Amendment of rule 8	4	In rule 8 of said rule, the words "ten days" appearing before the words "of the passing of the orders" shall be substituted with the words "seven days" and the words "ten days" appearing before the words "and communicate the orders " shall be substituted with the words "five days".

-2-

Amendment of rule 9	5	In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1) the words "45 days" shall be substituted with the words "30 days"
Amendment of rule 24	6	In rule 24 of the said rules in sub-rule (4); i) for the words "within three days" following words shall be substituted: *"till the last date fixed for filing of objections"* ii) for Clause (a) the following shall be substituted namely; *" (a) Prepare a list of the names and other particulars of such electors"; and* iii) In clause (b) the words and sign *"after getting permission from the Commission" shall be deleted.*
Amendment of rule 38	7	In Rule 38 of the said rules, after sub-rule (1) the following new sub-rule (1A) may be inserted, namely:- *"(1A) A proposer shall propose only one candidate for one post. Proposal once made shall not be withdrawn or cancelled;* *"Provided that every candidate filing his nomination papers shall take an oath of affirmation and allegiance to the Constitution of India in writing in Form-20A before the Returning Officer or any other Officer authorised by the State Election Commission and shall attach the same with his nomination papers.* *Explanation.- For the purpose of these rules a person who is unable to write his name shall be deemed to have signed an instrument or any other papers if he has placed his thumb-impression on such instrument or paper in the presence of the Returning Officer. Such an officer on being satisfied as to his identity shall attest the thumb impression."*
Amendment in Form-1 annexed with rule 6	8	The words "10 days" appearing in the last line of first paragraph of the Form-1 shall be substituted with the words *"seven days" and* the words "ten days" appearing in the second line of second paragraph of the Form-1 shall be substituted with the words *"seven days"*
Amendment of Form-20,25& 35	9	In Form No. 20, 25 & 35 appended to the said rules space for affixing a photograph of the contesting candidate may be specified.

Insertion of Form-20A.	10	After Form 20 of the said rules, a new Form may be inserted, namely:- "FORM-20A [(See Rule38(1A)] FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY A CANDIDATE FOR ELECTION TO THE NAGAR PANCHAYAT/ MUNICIPAL COUNCILS " I, ... having been nominated as a candidate to fill a seat in the Nagar Panchayat .... /Municipal Council ....of district...................... do swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India".

By Order,

(Rajneesh)
Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. UD- A(3)-2/2020 Shimla-2 the 12th October, 2020

Copy to:-

1. The Addl LR-cum-Addl Secretary (law/legal) to the GOHP Shimla-2.
2. Secretary, State Election Commission Himachal Pradesh Shimla-2.
3. Director_Urban Development Department_Palika Bhawan Shimla-2.
4. All the Deputy Commissioners Himachal Pradesh.
5. The Commissioners, Municipal Corporation Shimla & Dharamshala, H.P.
6. All EOs/ Secretaries in Urban Local Bodies in Himachal Pradesh.

Rathore
(Surjeet Singh Rathore) 12.10.2020
Joint Secretary(UD) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग।

संख्याः यू0डी0–ए0(3)–2/2020 दिनांक शिमला–17 1002 12 अक्तूबर, 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए, प्रारूप समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार, जनसाधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 19–09–2020 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 और 304 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः यू0डी0–ए0(3)–7/2011–1, तारीख 02–09–2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 02 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के राजभाषा पाठ के अध्याय–2 से अध्याय 11 में नियमों की कम संख्याओं का प्रतिस्थापन।	2	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के राजभाषा पाठ के अध्याय–2 से अध्याय–11 में नियमों की कम संख्याएं निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– अध्याय–2 में नियम कम संख्या 1 से 11 तक, अध्याय –3 में नियम कम संख्या 1 और 2, अध्याय–4 में नियम कम संख्या 1 से 18, अध्याय–5 में नियम कम संख्या 1 से 3, अध्याय–6 में नियम कम संख्या 1 और 14, अध्याय–7 में नियम कम संख्या 1 से 28, अध्याय–8 में नियम कम संख्या 1 से 12, अध्याय–9 में नियम कम संख्या 1 से 5, अध्याय–10 में नियम कम संख्या 1 से 7 और अध्याय–11 में कम संख्या 1 और 2 के स्थान पर कमशः अध्याय–2 में नियम कम संख्या 3 से 11, अध्याय–3 में नियम कम संख्या 12 और 13, अध्याय–4 में नियम कम संख्या 14 से 31,

		अध्याय–5 में नियम कम संख्या 32 से 34, अध्याय–6 में नियम कम संख्या 35 से 48, अध्याय–7 में नियम कम संख्या 49 से 76, अध्याय–8 में नियम कम संख्या 77 से 88, अध्याय–9 में नियम कम संख्या 89 से 93, अध्याय–10 में नियम कम संख्या 94 से 100 और अध्याय–11 में नियम कम संख्या 101 और 102 रखी जाएंगी।
नियम 6 का संशोधन।	3	उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम 2 में, ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
नियम 7 का संशोधन।	4	उक्त नियमों के नियम 7 में ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
नियम 8 का संशोधन।	5	उक्त नियमों के नियम 8 में आए शब्दों '' आदेश पारित होने के'' पश्चात ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे और शब्दों, ''सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्'', आए ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''पांच दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
नियम 9 का संशोधन।	6	उक्त नियमों के नियम 9 के उप नियम (1) में ''पैंतालीस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''तीस दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
नियम 24 का संशोधन।	7	उक्त नियमों के नियम 24 के उपनियम (4) में,– (i) ''तीन दिन के भीतर '' शब्दों के स्थान पर ''आक्षेप दाखिल करने के लिए नियत अन्तिम तारीख तक'' शब्द रखे जाएंगे; (ii) ''खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– ''(क) ऐसे निर्वाचकों के नाम और अन्य विशिष्टियों की सूची तैयार करेगा ''; और (iii) खण्ड (ख) में ''आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात,'' शब्दों और चिह्न का लोप किया जाएगा।

नियम 38 का संशोधन।	8	उक्त नियमो के नियम 38 के उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (1—क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः— ''(1—क) एक प्रस्तावक एक पद के लिए केवल एक अभ्यर्थी का प्रस्ताव करेगा। एक बार किया गया प्रस्ताव प्रत्याहृत या रदद् नहीं किया जाएगाः परन्तु यह कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्ररूप 20—क में लिखित में भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उसे नामांकन पत्र के साथ संलग्न करेगा। स्पष्टीकरण.— इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है, द्वारा कोई लिखत या कोई अन्य पत्र हस्ताक्षरित किए गए समझे जाएंगें यदि उसने रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में ऐसी लिखत या पत्र पर अपने अंगूठे का निशान लगाया है। उसकी पहचान की बाबत, समाधान होने पर ऐसा अधिकारी अंगूठे के निशान को सत्यापित करेगा।''।
नियम 6 के उपाबद्ध प्ररुप 1 का संशोधन।	9	प्ररुप 1 के प्रथम पैरा में ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे और द्वितीय पैरा में भी ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
प्ररुप 20, 25 और 35 का संशोधन।	10	उक्त नियमों में संलग्न प्ररुप 20, 25 और 35 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का फोटो चिपकाने के लिए स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

प्ररुप 20–क का अन्तःस्थापन।		उक्त नियमों के प्ररुप–20 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररुप अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:– "प्ररुप–20–क {(नियम 38 (1क) देखें) } नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन हेतु किसी अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररुप। " मैं.. जिला...................... ....नगर पंचायत.............................नगर पालिका परिषद् .... के स्थान को भरने हेतु अभ्यर्थी के रुप में नामांकित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा। "।

आदेश द्वारा

(रजनीश)
सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0संख्याः यू0डी0–ए0(3)–2/2020 तारीख शिमला–171002 12 अक्तूबर, 2020

प्रतिलिपि सेवा में:–

1. विधि परामर्शी–एवं–प्रधान सचिव (कानून) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171 002
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
3. अतिरिक्त विधि परामर्शी–एवं–अतितिक्त सचिव (कानून) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171 002
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, पालिका भवन शिमला–171002
5. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
6. आयुक्त, नगर निगम शिमला एवं धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
7. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. समस्त कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव नगर पंचायत शहरी निकाय हिमाचल प्रदेश।

12.10.20
(सुरजीत सिंह राठौर)
संयुक्त सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।